राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–93/2015/अलवर

1. राजेश अग्रवाल पुत्र वी.वी. दास गुप्ता, अधिकृत अधिकारी मैसर्स स्कीपर इलैक्टिकल इण्डिया लि. एफ 667–668, रीको औधोगिक क्षैत्र फेज द्वितीय, भिवाडी, जिला अलवर। ...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक अलवर जिला अलवर।
2. प्रभारी अधिकारी ''पंजीयन'' अति. जिला कलैक्टर ''द्वितीय'' अलवर।

...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री अजयपाल डिंढारिया
अभिभाषक ....प्रार्थीगण की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 व 2 विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 07.02.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान अति. कलक्टर (मुद्रांक) द्वितीय अलवर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 19.03.2014 क्रमांक पंजीयन/रिफण्ड/69/2014/179 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें जिला कलक्टर, अलवर की ओर से प्रभारी अधिकारी (पंजीयन) अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने प्रार्थी के रिफण्ड प्रार्थना पत्र पर क्लेम स्वीकार नहीं किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने जिला कलक्टर अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2014 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके द्वारा एक दावा न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश तिजारा अलवर में दायर किया गया था जिसका निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है और जिस निर्णय के तहत न्याय शुल्क 8,52,525/– रूपये की राशि वापस लौटाने के आदेश भी दिये गये थे, अतः शुल्क राशि लौटायी जावे। प्रार्थना पत्र के साथ अपर एवं जिला सैशन न्यायाधीश तिजारा

लगातार.....2

जिला अलवर का प्रमाण–पत्र एवं शपथ–पत्र भी पेश किया गया। जिला कलक्टर अलवर की ओर से प्रभारी अधिकारी (पंजीयन) अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने पत्र क्रमांक पंजीयन/रिफण्ड/69/2014/179 दिनांक 19.03.2014 द्वारा प्रार्थी को सूचित करते हुये यह लिखा है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2014 को प्रस्तुत किया है। साधारण नियम 1986 के नियम 322 के अनुसार प्रारूप स. 29 का भाग II एवं III उपस्थापन प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से 15 दिनो के अन्दर पेश किया जाना चाहिए। अपर जिला न्यायाधीश तिजारा द्वारा प्रमाण पत्र दिनांक 19.12.2013 को ही जारी कर दिया जबकि रिफण्ड 15 दिवस की अवधि व्यतित होने के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त कथनो के आधार पर प्रार्थी का क्लेम स्वीकार योग्य नहीं माना जिससे अप्रसन्न होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व प्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक आर के अजमेरा उपस्थित आये।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय ने विधिवत अवसर प्रदान नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मात्र 10 दिवस की देरी के आधार पर खारिज किया है जबकि न्यायालय ने न्याय शुल्क वापिस लौटाने के आदेश दे दिये थे। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर रिफण्ड राशि दिलाई जाने के आदेश देने हेतु निवेदन किया गया।

6. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रकरण में राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 65 के अन्तर्गत निगरानी सुनवाई योग्य नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने की दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

लगातार.....3

9. विचाराधीन प्रकरण में निगरानी राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। इस विधिक प्रावधान के अन्तर्गत राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 के चैप्टर IV, V तथा धारा 29 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) और धारा 35 के अधीन कलक्टर द्वारा दिये गये आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण मुख्य नियत्रंक राजस्व प्राधिकारी (राजस्थान कर बोर्ड) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। विचाराधीन निगरानी में विवादित आदेश क्रमांक पंजीयन/रिफण्ड/69/2014/179 दिनांक 19.03.14 द्वारा पारित किया गया है। यह आदेश राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत पारित नहीं है जिससे इस आदेश की निगरानी राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 65 के अन्तर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। इस प्रकार निगरानी क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज योग्य है परन्तु यदि सक्षम न्यायालय में प्रार्थी को विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्रता दिया जाना न्यायोचित है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने के कारण क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर निगरानी खारिज की जाती है परन्तु साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थी सक्षम न्यायालय में निगरानीधीन आदेश के विरूद्व विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही करता है तो संबंधित न्यायालय से यह न्यायोचित अपेक्षा की जाती है कि वे निगरानी इस न्यायालय में लंबित रहने के दौरान की अवधि हेतु लिमिटेशन (परिसीमा) में छूट प्रदान करते हुये नियमानुसार व विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

11. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम) 21/2/17
सदस्य